रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112022-240582 CG-DL-E-25112022-240582

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 609] No. 609] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 24, 2022/अग्रहायण 3, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 2022/AGRAHAYANA 3, 1944

भारतीय खाद्य निगम

अधिसूचना सं .139

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2022

सं. भा.खा.नि.मु.-ई.पी.011(15)/1/2022-ई.पी.—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37वां) की धारा-45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्र सरकार की पूर्वानुमित से भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1971 में संशोधन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथाः-

- 1. संक्षिप्त शीर्षक तथा आरंभः
- (i) ये विनियम, भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 कहलाएंगे।
- (ii) ये संशोधन सरकारी गजट में अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।
- 2. परिभाषाः इस विनियम में शब्दों की परिभाषा और उनका अर्थ तथा पदों के पदनाम का अर्थ वही होगा जैसाकि खाद्य निगम अधिनियम,1964 तथा भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1971 में दिया गया है।
- 3. भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1971 (परिशिष्ट-।) में निम्नलिखित संशोधन किए गए है:-

भाग-XI - राजभाषा संवर्ग

(क) क्रम संख्या 7 के कॉलम संख्या 3 को 28,200-79,200 के रूप में पढ़ा जाए।

7851 GI/2022 (1)

(ख) क्रम संख्या 7 के कॉलम संख्या 8 को 28 पढ़ा जाए।

एम. के. गोगोई. सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./364/2022-23]

टिप्पणी : मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 08.05.1971 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे तथा तदनुरूप अंतिम बार निम्न के माध्यम से संशोधित किये गए ।

क्र .सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	भा.खा. नि., विनियम (कर्मचारिवृन्द) (प्रथम संशोधन) 2022	24.01.2022
2.	भा.खा. नि., विनियम (कर्मचारिवृन्द) (दूसरा संशोधन) 2022	25.05.2022
3∘	भा.खा. नि., विनियम (कर्मचारिवृन्द) (तीसरा संशोधन) 2022	27.07.2022

FOOD CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION NO.139

New Delhi, the 21st October, 2022

No. FCI HQ-EP011(15)/1/2022-EP.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following Regulations further to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 namely:-

1. Short Title and Commencement:

- (i) These Regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff) (Fourth Amendment) Regulations, 2022.
- (ii) These amendments shall come into force from the date of Notification in the Official Gazette.
- **2. Definitions:** The definition and meaning of the words and designation of posts in this Regulation shall have the same meaning as contained in the Food Corporations Act, 1964 and the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971.
- 3. The following amendments are made in Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 (Appendix-I):

PART-XI - Official Language Cadre

- (a) Column No. 3 of Assistant Grade-III (Hindi) at Serial Number 7 shall be read as 28,200-79,200.
- (b) Column No. 8 of Assistant Grade-III (Hindi) at Serial Number 7 shall be read as 28.

M. K. GOGOI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./364/2022-23]

Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide Notification dated 8.5.1971 and subsequently have been amended being lastly vide:-

	Sl. No.	Title	Dated
	1	FCI(Staff) (1 st Amendment) Regulations, 2022	24.01.2022
ſ	2	FCI(Staff) (2 nd Amendment) Regulations, 2022	25.05.2022
	3	FCI(Staff) (3 rd Amendment) Regulations, 2022	27.07.2022